भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6155
(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान

6155: **श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है और बुजुर्गों, वयोवृद्ध और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) 'भविष्य' के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और सेवानिवृत्ति के दिन कितने पेंशन और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड जारी किए जा रहे हैं;
(ग) क्या ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल सुविधा में शेष कमियों की पहचान करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो ऐसी कमियों अथवा बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ) डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में बुजुर्गों, वयोवृद्ध और दिव्यांग पेंशनभोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष, 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनमें चिन्हित जिलों/शहरों/कस्बों में कई स्थानों पर डीएलसी शिविर आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक लॉन्च की है, जिसमें डीएलसी जनरेट करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। 01-04-2025 से 24-03-2026 तक कुल 1.90 करोड़

डीएलसी जनरेट किए गए, जिनमें फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जनरेट किए गए 1.15 करोड़ डीएलसी भी सम्मिलित हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध पेंशनभोगियों द्वारा 14.16 लाख से अधिक डीएलसी जनरेट किए गए थे। सभी पेंशन संवितरण बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे पेंशनभोगियों की नियमित रिपोर्ट तैयार करें जिन्होंने डीएलसी जमा नहीं किया है और यह सुनिश्चित करें कि उनके डीएलसी जनरेट हों ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनके डीएलसी जमा करने में मदद करने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक, डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं का भी उपयोग किया गया। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी अपना डीएलसी अक्टूबर माह में भी जमा कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर मेगा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं जहां पेंशनभोगियों की संख्या अधिक होती है। डीएलसी अभियानों के दौरान, वृद्ध/बीमार/अक्षम/दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए डोरस्टेप सेवा भी प्रदान की जाती है। विभाग ने पेंशन प्रक्रिया का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए भविष्य को बैंकों, सीजीएचएस, जिसमें सीजीएचएस कार्ड जारी किया जाना सम्मिलित है, पीएफएमएस, डिजिलॉकर, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और ई-एचआरएमएस के साथ एकीकृत किया है ताकि पेंशनभोगियों के जीवन को और आसान बनाया जा सके। अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभियान-पूर्व चरण में सभी हितधारकों, विशेषकर 80 वर्ष की आयु से अधिक के पेंशनभोगियों को प्रशिक्षण देने और जागरूकता के प्रचार-प्रसार के लिए आउटरीच बैठकें भी की जाती हैं।
